कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही

सी.यू.जी. – 9454400307, दूरभाष- 05414-250236, ई-मेल- spsrn-up@nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27.10.2025

श्री अभिमन्यु मांगलिक,पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा **श्री शुभम अग्रवाल** , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में थाना ऊंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर पुलिस मुठभेड़ **में ₹25000/-** का पुरस्कार घोषित गौ तस्कर वांछित अभियुक्त मो0 जावेद अहमद पुत्र स्व० मो० शाहिद अहमद निवासी पुरानी बाजार बिहका पूरामुफ्ती थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज उम्र 40 वर्ष को ग्राम कालिंजर मोड़ नहर पुलिया से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

गैंगस्टर अभियुक्त का एक संगठित एवं सक्रिय गिरोह है तथा इस गिरोह के अहमद नासिर पुत्र स्व0 अहमद बशीर निवासी रसूलपुर काशीपुर (मरियाडीह) बम्हरौली उपरहार थाना पूरामुक्ती जनपद प्रयागराज उम्र 38 वर्ष सक्रिय सदस्य है यह गैंग संगठित होकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यो के आर्थिक भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए अवैध रूप से गोवंशीय पशुओं का वध हेतु तस्करी/परिवहन करने जैसे अपराध कारित करते रहते हैं। इनके भय एवं आतंक से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके कृत्यो की सूचना पुलिस थाना व न्यायालय में गवाही देने का चाहत नहीं कर पता है। दिनांक 11.06.2023 को थाना ऊंज क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग भीटी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान स्थानीय पुलिस द्वारा पीछा करते हुए पीकप बोलेरो वाहन में क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे कुल-07 राशि गोवंश (06-साढ व 01 मृत गाय) बरामद कर मु0अ0सं0-52/2023 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में अभियुक्त मो0 जावेद अहमद पुत्र स्व० मो० शाहिद अहमद प्रकाश में आया था। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद चन्दौली में मु0अ0सं0-106/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0, 11 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960, व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण:-

श्री अभिमन्यु मांगलिक , पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा **श्री शुभम अग्रवाल** , अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 26.10.2025 समय रात्रि 23:35 बजें थाना ऊंज क्षेत्र अंतर्गत थाना ऊंज पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबीरी सूचना पर किसी घटना को अंजाम देने के लिए वहीदा मोड़ की तरफ से आ रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्त को कालिंजर मोड़ नहर पुलिया पर पुलिस मुठभेड़ में थाना ऊंज पर गोकशी/गोतस्करी के आधार पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 69/2025 गैंगस्टर अधिनियम का पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा ₹25000/- का पुरस्कार घोषित गौ तस्कर गैंगस्टर अभियुक्त मो0 जावेद अहमद पुत्र स्व० मो० शाहिद अहमद निवासी पुरानी बाजार बिहका पूरामुफ्ती थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पूर्व में गैंगस्टर अभियुक्त गोकशी के मामले में जेल जा चुका है तथा अभियुक्त के अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर तथा 01 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस एवं मोटरसाइकिल स्पलेंडर बिना नंबर प्लेट बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने इरादे से तमंचे से फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान अभियुक्त जावेद अहमद पुत्र शाहिद अहमद के दाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीघ भेजा गया है। जहां घायल अभियुक्त की स्थिति सामान्य है। पुलिस उच्चाधिकारीगण के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मु0अ0सं0135/2025 धारा 109 (1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 207 एमवी एक्ट अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जनपद प्रयागराज, चंदौली एवं भदोही में हत्या, गौ हत्या एवं मारपीट सहित कुल लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारशुदा पशु तस्कर का नाम व पता:-

1.₹25000/- का पुरस्कार घोषित गौ तस्कर गैंगस्टर मो0 जावेद अहमद पुत्र स्व० मो० शाहिद अहमद निवासी पुरानी बाजार बिहका पूरामुफ्ती थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी:-

एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर तथा 01 जिंदा कारतूस एवं 01 खोखा कारतूस एवं मोटरसाइकिल स्पलेंडर बिना नंबर प्लेट बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0135/2025 धारा 109 (1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 207 एमवी एक्ट।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

टीम -1.थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता, हे0का0 अरूण कुमार, का0 कुँवर मयक सिंह, का0 चन्द्रदीप भारती, का0 अजय कुमार, हे0का0 सुनील सिंह, का0 अनुज कुमार, हे0का0 हैदर अली सिद्दीकी एवं चालक हे0का0 जय नारायण सिंह यादव का0 जय प्रकाश मौर्या चालक का0 ऋषि शाक्य थाना ऊंज जनपद भदोही।

टीम-2.- नि0 श्याम बहादुर यादव प्रभारी स्वाट सर्विलांस, मु०आ० धीरेंद्र श्रीवास्तव, मु०आ० हरिकेश यादव, मु०आ० बृजेश सिंह सूर्यवंशी, मु०आ० नागेंद्र यादव, आ० हिमांशु सिंह, आ० सुनिल कनौजिया, आ० अहम सिंह, आ० सेराफुल हसन, आ० प्रत्यूष पाठक, आ00चा0 हरिओम प्रसाद एसओजी टीम, तथा हे0का0 राधेश्याम कुशवाहा, का0 गोपाल खरवार, का0 नीरज यादव, का राघवेंद्र कुशवाहा, का0 प्रिन्स भार्गव सर्विलांस सेल।

अभियुक्त मो0 जावेद अहमद पुत्र स्व० मो० शाहिद अहमद निवासी पुरानी बाजार बिहका पूरामुफ्ती थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज उम्र 40 वर्ष का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0-0052/2023,धारा 3/5A/8-थाना ऊंज जनपद भदोही
2.मु0अ0सं0-0052/2023,धारा 11-थाना ऊंज जनपद भदोही
3.मु0अ0सं0-0069/2025,धारा 3(1)-थाना ऊंज जनपद भदोही
4.मु0अ0सं0-106/2024,धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश-थाना चंदौली जनपद चंदौली
5.मु0अ0सं0-106/2024,धारा 5 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश-थाना चंदौली जनपद चंदौली
6.मु0अ0सं0-106/2024,धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960-थाना चंदौली जनपद चंदौली
7.मु0अ0सं0-106/2024,धारा 4 आयुध अधिनियम, 1959-थाना चंदौली जनपद चंदौली
8.मु0अ0सं0-106/2024,धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959-थाना चंदौली जनपद चंदौली
9.मु0अ0सं0-141/2023,धारा 302 भा0द0वि0-थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज
10.मु0अ0सं0-141/2023,धारा 323 भा0द0वि0-थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज
11.मु0अ0सं0-141/2023,धारा 506 भा0द0वि0-थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराजविनीत सिंह, का0 भूपेंद्र राय